



एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ हरिद्वार, सुन्दर हरिद्वार

38580

फार्म का क्रमांक.....

नगर निगम, हरिद्वार

मूल्य 20/- रुपये

प्रपत्र-‘ग’

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

Office Use Only

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता/मोहल्ला.....

खाता संख्या.....

मोबाईल नं०.....

नगर निगम, हरिद्वार

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

प्रपत्र-‘ग’

मूल्य 20/- रुपये

(नियम-7 देखिए)

(नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207-क)

1. स्वामी/अध्यासी का विवरण.....
 - (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 - (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 - (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
 - (चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता व मो०नं०.....
 - (पाँच) अन्य विवरण यदि कोई हो.....

2. भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा.....
 - (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
 - (दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
 - (तीन) अन्य विवरण कोई हो.....

3. अवस्थिति का विवरण

(क) भवन या भूमि अवस्थिति है-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (एक) पक्का भवन, आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित ☐
- (दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाईबर या टीनशैड ☐
- (तीन) कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है। ☐

टिप्पणी-कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगाये।

4. भवन निर्माण का वर्ष.....

5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6. वार्षिक मूल्य की गणना

(क) भवन का वार्षिक मूल्य.....

(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया की मासिक दर.....

(दो) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक.....

(तीन) भवन हेतु प्राप्त किराये की मासिक दर [(एक) × (दो)]

(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(पाँच) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 [(तीन) × (चार) × 12]

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य

(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराये की मासिक दर

(दो) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणांक

(तीन) भूमि [(एक) × (दो)] के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर

(चार) भूमि का क्षेत्रफल

(पाँच) भूमि का वार्षिक मूल्य =

किराये की मासिक दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 [(तीन) × (चार) × 12]

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = क (पाँच) + ख (पाँच)

7. कर की गणना

(एक) सामान्य कर = $\frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{सामान्य कर की दर}}{100}$

(दो) अन्य कर (कर का नाम) = $\frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$

8. जमा किये गये कर का विवरण-

क्र.सं.	करदाता का नाम	कर की धनराशि	चालान/प्राप्ति सं.	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6

मैंवार्डके मौहल्लामें स्थित भवन सं०का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

संलग्नक- सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान, एच.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति/नजरी नक्शा तथा सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद मा० न्यायालय में दायर न होने विषयक शपथ पत्र।

नोट- 1. भरे गये प्रपत्रों की जाँच में यदि करदाता द्वारा विवरण सही नहीं दिया गया तो देय कर के अन्तर का चार गुना शास्ति के रूप में आरोपित किया जायेगा।

2. निर्धारित तिथि के भीतर कर का एक मुस्त वार्षिक भुगतान करने पर 5% की छूट एक बार देय होगी।

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर रय निर्धारण प्रपत्र

प्रपत्र- 'ग'

(नियम-3 देखिए)

1. स्वामी/अध्यासी का विवरण.....
 - (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 - (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 - (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
 - (चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता व मो०नं०.....
 - (पाँच) अन्य विवरण यदि कोई हो.....
 2. भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा.....
 - (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
 - (दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
 - (तीन) अन्य विवरण यदि कोई हो.....
 3. अवस्थिति का विवरण
 - (क) भवन या भूमि अवस्थिति है—
 - (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
 - (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
 - (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
 - (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
 - (एक) पक्का भवन, आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित ☐
 - (दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाईबर या टीनशैड ☐
 - (तीन) कच्चे भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है। ☐
- टिप्पणी—कृपया प्रयोज्य खाने में सही का चिन्ह लगाये।
4. भवन निर्माण का वर्ष.....
 5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मौहल्ला.....में स्थित भवन सं०.....का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे में मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणक होगा जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है-

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1.	(क) होटल पेइंग गेस्ट हाउस 10 कमरों तक (बगैर वातानुकूलित)	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
	(ख) होटल 10 कमरों से अधिक (बगैर वातानुकूलित)	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का चार गुना
	(ग) समस्त होटल/पेइंग गेस्ट हाउस (वातानुकूलित) 3 स्टार सुविधा तक	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का पाँच गुना
	(घ) होटल, 4 स्टार और ऊपर वाले, बार पब, रेस्टोरेन्ट मयबार और क्लब मयबार	उपनियम-1 के अधीन दर का छः गुना
	(ङ) धर्मार्थ धर्मशाला/आश्रम/होटल जहाँ प्रति कमरा किराया दर रु0 200/- प्रतिदिन या अधिक या जो व्यवसायिक दरों पर विद्युत का उपयोग कर रहे हो	उपनियम-1 के अधीन दर का तीन गुना
2.	मॉल्स	उपनियम-1 के अधीन दर का छः गुना
3.	सभी प्रकार के वाणिज्यिक भवन शोरूम, बैंक कार्यालय, कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान, ए.टी.एम.	उपनियम-1 के अधीन दर का पाँच गुना
4.	दुकानें/ढाबा/स्टॉल	उपनियम-1 के अधीन दर का दो गुना
	(क) 100 वर्गफीट तक	
	(ख) 100 वर्गफीट से 200 वर्गफीट तक	उपनियम-1 के अधीन दर का तीन गुना
	(ग) 200 वर्गफीट से 500 वर्गफीट तक	उपनियम-1 के अधीन दर का चार गुना
	(घ) 500 वर्गफीट से अधिक	उपनियम-1 के अधीन दर का पाँच गुना
	(ङ) पूर्णतः आवश्यक सेवायें व्यवसाय सम्बन्धी स्टॉल (दूध, सब्जी-फल, नाई, मौची, साईकिल-रिक्शा/टू व्हीलर मैकेनिक	उपनियम-1 के अधीन दर का 1.1 गुना
5.	(क) क्लीनिक (केवल चिकित्सीय परामर्श हेतु उपयोगी)	उपनियम-1 के अधीन दर का दो गुना
	(ख) अस्पताल/नर्सिंग होम, पॉलिक्लीनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, मेडिकल स्टोर, प्रयोगशालायें स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि	उपनियम-1 के अधीन दर का तीन गुना
6.	क्रीड़ा केन्द्र जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र फिटनेस केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, थियेटर और सिनेमा हॉल	उपनियम-1 के अधीन दर का दो गुना
7.	(क) बिना छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों कॉलेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले)	उपनियम-1 के अधीन दर का एक गुना

	(ख) छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों, कॉलेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले)	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का दो गुना
8.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का दो गुना
9.	सामुदायिक भवन, विवाह घर, वेडिंग प्वाइन्ट, कल्याण मण्डप, वेयर हाउस, गोदाम, क्लब आदि।	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
10.	भवन मय मोबाइल टॉवर, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक व्यवसायिक वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
11.	औद्योगिक इकाईया (क) लघु	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का दो गुना
	(ख) मध्यम	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
	(ग) बृहद	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का पाँच गुना
12.	समस्त प्रकार के अनावासिक भवन जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हों	उपनियम-1 के अधीन नियत दर का तीन गुना

पेट्रोल पम्प की जो भूमिगत क्षेत्र या संरचना भूमिगत स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, कारपेट एरिया की गणना के लिए जोड़ी जायेगी।

संचार/मोबाइल टॉवर और उसकी सहायक मशीनों के द्वारा आच्छादित किसी प्रकार के क्षेत्र को सम्पत्ति कर की गणना के लिए कारपेट एरिया माना जायेगा।

निर्धारित दर समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रति वर्ग फुट-प्रतिमाह) रुपये में द्वारा समस्त 30 वार्डों के लिए निर्धारित स्वक किराया दर (प्रतिवर्ग फुट-प्रतिमाह) (रुपये में)

वार्ड सं०	क्षेत्र का नाम	पक्का भवन आर०सी०सी० आर०बी०				अन्य पक्का भवन				कच्चे भवन				आवासीय भूमि जिसमें भवन न बना हो	
		24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क

जोन-1 हरिद्वार केवल मध्य हरिद्वार क्षेत्र नगर व रेलवे लाइन के बीच

5	निर्मला छावनी (आंशिक)	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
6	ब्रह्मपुरी (आंशिक)	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
9	मायापुर	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
12	हर की पौड़ी	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
13	भीमगोडा	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
15	गऊघाट	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
16	खड़खड़ी	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
19	भोपतवाला	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
20	ऋषिकुल	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
14	शारदा नगर	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
18	आर्यनगर	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
21	आवास विकास	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25
22	गोविन्दपुरी	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25

जोन-2 ज्वालापुर क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र रेलवे लाइन से पश्चिम समस्त क्षेत्र

1	कडच्छ	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
2	अम्बेडकर नगर	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
3	टिबडी	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
4	बाल्मिकी बस्ती	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
7	कोटरावान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
10	मेदानियान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
17	शास्त्री नगर	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
23	चाकलान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
24	मेहतान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

26	लोधामण्डी	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
27	कस्सावान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
28	पौवधोई	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
30	लक्कडहारान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25

जोन-3 कनखल क्षेत्र हाईवे/नहर के पूर्व का क्षेत्र

8	रविदास बस्ती	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
11	आचार्यान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
25	कृष्णा नगर	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
29	राजघाट	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25